<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 05.06.2025</u>

<u>पुलिस अधीक्षक द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, रिक्रूट आरक्षियों के व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–</u>

गोण्डा। आज दिनांक 05.06.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए रिजर्व पुलिस लाइन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महोदय द्वारा रिक्रूटो के आवासीय व्यवस्था, क्लासरूम, स्नानागार, शौचालय आदि का निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा आरटीसी बैरक में गर्मी को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कूलर, पंखे लगवाने, तख्त और पानी की पर्याप्त व्यवस्था करने हेतु बताया गया साथ ही पर्याप्त संख्या में शौचालय व स्नानागार की व्यवस्था उच्च सफाई के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। रिक्रूट आरक्षियों के आगमन के पूर्व आरटीसी बैरक के आसपास घास आदि की सफाई कराने और क्षमता से अधिक रिक्रूट आरक्षियों को बैरक में नही रखे जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया साथ ही प्रस्तावित आरक्षियों के प्रशिक्षण के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं की कमियों की पूर्ति कर सही ढंग से व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में जेटीसी प्रशिक्षण हेतु 771 रिक्रूट आरक्षी शामिल होगे। जिसमें से 618 पुरूष आरक्षी व 153 महिला आरक्षी शामिल होगी। जिसमें से रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में आरटीसी प्रशिक्षण हेतु 500 पुरूष रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

<u>निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।</u>

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 05.06.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन का किया गया निरीक्षण, रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण हेतु व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा, सम्बन्धित अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। जनपद में आने वाले रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की तैयारियों को लेकर आज दिनांक 05 जून 2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा का निरीक्षण कर समस्त व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय द्वारा आरटीसी प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित बैरकों, क्लासरूम, आवासीय परिसर, स्नानागार, शौचालय, भोजनालय सहित अन्य आवश्यक स्थानों का सघन निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों की सुविधा एवं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए ग्रीष्म ऋतु की परिस्थितियों के दृष्टिगत बैरकों में पर्याप्त संख्या में पंखों व कूलरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हेतु आर.ओ. सिस्टम/जल शीतलन यंत्र लगाने, बैरकों में तख्तों की संख्या कम करने तथा जल निकासी एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। शौचालय एवं स्नानागार की संख्या बढ़ाए जाने के साथ–साथ नियमित रूप से साफ–सफाई कराने तथा सैनिटेशन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु भी संबंधित को निर्देशित किया गया। बैरकों के आसपास उगी झाड़ियों व घास की तत्काल सफाई कराए जाने तथा क्षमता से अधिक रिक्रूट आरक्षियों को एक ही बैरक में न रखे जाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
महोदय ने निर्देशित किया कि प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित कर ली जाए तथा प्रशिक्षण अवधि के दौरान रिक्रूट आरक्षियों को अनुशासित एवं सुव्यवस्थित वातावरण प्रदान किया जाए, जिससे वे पूर्ण समर्पण भाव से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।

जनपद गोण्डा में कुल 771 रिक्रूट आरक्षियों का आगमन प्रस्तावित है, जिसमें 618 पुरुष एवं 153 महिला आरक्षी शामिल हैं। इनमें से 500 पुरुष रिक्रूट आरक्षी रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इन सभी को उच्च स्तर की सुविधा एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयारियों को समयबद्ध एवं सटीक रूप से पूर्ण किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.06.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपये 50,000/– अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी श्री रामगोपाल पुत्र ज्वाला प्रसाद नि0 आसरा आवास थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 12.06.2021 को थाना को0 नगर में सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री की शादी अजय कुमार कश्यप के साथ 02 माह पूर्व तय हुई थी। जिसके उपरान्त वह लगातार मेरी लड़की से उल्टा–सीधा काम करने हेतु दबाव बना रहा था। उल्टा–सीधा काम न करने पर शादी तोड़ने की धमकी देता था। इसी बात से क्षुब्ध होकर मेरी बेटी द्वारा आत्महत्या कर लिया गया है। वादी की तहरीर पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्त अजय कुमार कश्यप को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 30.07.2021 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

दोषसिद्धि का विवरण–

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री राजेश कुमार द्वारा थाना को0 नगर पुलिस, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर व थाना को0 नगर के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 05.06.2025 को दोषी अभियुक्त अजय कुमार कश्यप को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/– रु० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का नाम पता–

01. अजय कुमार कश्यप पुत्र बलराम नि0 आसरा आवास थाना को0 नगर जनप गोण्डा।

अभियोग का विवरण–

01. मु०अ०सं०–441/2021, धारा 306 भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 05.06.2025</u>

गोण्डा पुलिस व एसटीएफ द्वारा पीड़ित परिवार की बेटी की करायी शादी, मानवीयता की मिसाल बनी गोण्डा पुलिसः—

गोण्डा। जनपद गोण्डा के थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धन्नीपुरवा निवासी एक पीड़ित परिवार की बेटी उदय कुमारी की शादी गुरुवार को गोण्डा पुलिस व उत्तर प्रदेश एसटीएफ के सहयोग से सम्पन्न कराई गई। यह विवाह उस बेटी के लिए संजीवनी बना, जिसकी शादी उसके भाई की हत्या व परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण टूट गई थी। दरअसल 24 अप्रैल 2025 को शादी के लिए घर में रखा सामान लूटने आए पासी गैंग के बदमाशों द्वारा पीड़िता के भाई शिवदीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें गोण्डा पुलिस व एसटीएफ द्वारा विशेष अभियान चलाकर हत्या में शामिल कुख्यात अपराधियों में से एक लाख के इनामी सोनू पासी एवं गैंग लीडर ज्ञानचंद्र पासी को मुठभेड़ में ढेर किया गया तथा 04 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या के बाद उत्पन्न भय व असुरक्षा की भावना के चलते लड़के वालों ने रिश्ता समाप्त कर दिया था। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व सीओ एसटीएफ श्री धर्मेन्द्र कुमार शाही द्वारा परिवार को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया तथा पुनः विवाह की सभी तैयारियाँ शुरू कराई गईं। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉ. तन्वी जायसवाल ने स्वयं विवाह स्थल पर पहुँचकर न केवल बारात का स्वागत किया, बल्कि वधू को ₹1.51 लाख की नगद सहायता, जेवर व गृहस्थी का सामान भेंट कर आशीर्वाद भी प्रदान किया। पुलिस व एसटीएफ के अधिकारियों एवं जवानों ने सामूहिक सहयोग से पंडाल सजवाया, भोजन की व्यवस्था करवाई और बारातियों का स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक—चौबंद रही। पुलिस द्वारा यह कार्य महज़ कानून व्यवस्था तक सीमित न रहकर संवेदनशीलता व सामाजिक सरोकार का परिचायक बना। पुलिस अधीक्षक ने कहां कि हमारा प्रयास न केवल अपराध पर नियंत्रण, बल्कि पीड़ितों के जीवन को संबल देना भी है। इस विवाह आयोजन के माध्यम से गोण्डा पुलिस ने मानवीय मूल्यों को निभाते हुए समाज के प्रति अपने दायित्व को और दृढ़ता से प्रस्तुत किया है। विवाह सम्पन्न होने के उपरांत वधू की माता शकुंतला देवी ने भावुक होकर कहा बेटा खोकर टूट गए थे, पर पुलिस ने बेटे की कमी पूरी कर दी। ये शादी नहीं, हमारे विश्वास की फिर से वापसी है। इस पूरे प्रकरण में गोण्डा पुलिस और एसटीएफ ने न केवल कानून व्यवस्था का पालन कराया, बल्कि पिता की भूमिका निभाकर उस बेटी के जीवन में विश्वास और सम्मान की नई रोशनी भर दी, जो अपने भाई की हत्या व टूटी शादी के गहरे सदमे से जूझ रही थी। यह कार्य मित्र पुलिसिंग की संवेदनशीलता, सेवा और सामाजिक दायित्व की अनूठी मिसाल बना। गोण्डा पुलिस इस अवसर पर यह संदेश देना चाहती है कि हम केवल अपराधियों के विरुद्ध नहीं, बल्कि जरूरतमंद व पीड़ित जनमानस के साथ भी हमेशा खड़े हैं।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>